यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/111/2020 **दिनांक** : 04.07.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

बैंकों का निजीकरण

बैंकों के निजीकरण के विषय में सोशल मीडिया में विभिन्न अपुष्ट संदेश प्रसारित होते रहते हैं जो केवल सदस्यों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। इसी विषय में एआईबीईए द्वारा परिपत्र संख्या 28/211/2020/49 दिनांक 4.7.2020 जारी किया गया है जिसका अनूदित सार इकाईओं/सदस्यों को सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

बैंकों का निजीकरण, हाँ हम संघर्ष करेंगे
लेकिन अपुष्ट संदेशों को अग्रेषित करके नहीं

बैंकों के निजीकरण के विषय में, हम सभी उनके सुधार उपायों के संदर्भ में सरकार की नीतिगत कार्यसूची से अवगत हैं। इसे कभी छिपाया या गुप्त नहीं रखा गया। 1991 की शुरूआत से ही, नरसिम्हम समिति को शुरूआत से पी जे नायक समिति तक, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की शेयरधारिता को 51% से कम करने के लिए बार–बार किया जाने वाला नुस्खा है जिससे अधिकांश शेयरधारिता निजी हाथों में हो जाये।

वर्ष 2000 में, तत्कालीन एनडीए–भाजपा सरकार इस आशय के लिए विधेयक लेकर आई और चूंकि सरकार सत्ता में बनी नहीं रह सकी, इसलिए यह विधेयक रद्द हो गया। इसके बाद भी, इस तरह की अनुशंसायें विचाराधीन हैं और हम अपने संघर्षों और हड़ताली कार्रवाईयों के माध्यम से इसका लगातार

जारी पृष्ठ 2

विरोध करते रहे हैं। हम सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति वर्तमान सरकार के दृष्टिकोण को पूरी तरह से जानते हैं, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश और निजीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

लेकिन अभी तक सरकार ने बैंकों के निजीकरण के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, किसी विशेष बैंक को अकेला छोड़कर। लेकिन बार–बार हम देखते हैं कि संदेश प्रचलन में हैं कि बीबीबी ने निर्णय लिया है या नीति आयोग ने निर्णय लिया है आदि। हाल ही में एक आरटीआई के जवाब में, नीति आयोग ने स्पष्ट किया है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं है।

अपुष्ट संदेशों को प्रसारित और अग्रेषित करना केवल हमारे सदस्यों के बीच भ्रम पैदा करता है। जबकि वर्तमान सोशल मीडिया संचार प्रणाली उपयोगी हैं और यूनियनों को त्वरित संचार के लिए इसे अपनाना चाहिए, हमें जिम्मेदारी और संयम के साथ इसका उपयोग करना चाहिए। **हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल निश्चित और ज्ञात स्रोत से पुष्टि को गई और प्रमाणित सूचनाओं को हमारी इकाईओं और सदस्यों द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए।**

ऐसे लोग हैं जिनका एकमात्र कार्य फर्जी खबरें बनाना और इन्हें अग्रेषित करना है। हमारी इकाईओं को सतर्क रहना चाहिए और इसका शिकार नहीं बनना चाहिए।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

19 जुलाई, 2020 को अखिल भारतीय मांग दिवस की ओर बढ़ें – बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस एआईबीईए के आह्वान का इंतजार करें